न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

राम कुंवार बनाम [illegible]

दावा मु.नं. - 54/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
22-2-24	[illegible] 6-3-24 [illegible]
22.02.2024	वकील वादी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश होने पर पत्रावली आगामी पेशी 06.03.2024 से पूर्व तलब होने पर आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 24 / 229 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किए गए। वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

22/2/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर तारीख	निर्णय दिनांक
54/2022	2022/133	09.05.2022	22.02.2024 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. रामकृपाल पुत्र स्व. रमेशचन्द्र आयु 46 वर्ष
2. बजृमोहन पुत्र स्व. रमेशचन्द्र आयु 37 वर्ष
3. रघुवीर पुत्र स्व. रमेशचन्द्र आयु 35 वर्ष
4. अन्नपूर्णा पुत्री स्व. रमेशचन्द्र आयु 42 वर्ष
5. ममता पुत्री स्व. रमेशचन्द्र आयु 41 वर्ष
6. शांति देवी पत्नी स्व. रमेशचन्द्र आयु 65 वर्ष
7. शिम्भूदयाल पुत्र श्री बदरीनारायण आयु 64 वर्ष
8. सन्तोष देवी पत्नि स्व0 कैलाशचन्द पुत्रवधू बदरीनारायण आयु 60 वर्ष

समस्त जाति पुरोहित निवासीगण ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) ----वादीगण

बनाम्

1. सदा कंवर पुत्री स्व0 डूंगसिंह पत्नि गोपालसिंह आयु 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मऊ हाल निवासी 47/240 मुकुल मार्ग कुन्दन नगर अजमेर जिला अजमेर (राज0)
2. बलबीर सिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मऊ हाल निवासी 25/543 आशागंज अजमेर जिला अजमेर (राज0)

5. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 हणमान आयु 37 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मऊ हाल निवासी प्लाट नम्बर 7 गायत्री नगर माचड़ा हरमाड़ा जयपुर जिला जयपुर (राज0)

6. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

7. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर

8. किशन सिंह पुत्र स्व0 हणमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मऊ हाल निवासी प्लाट नम्बर 7 गायत्री नगर माचड़ा हरमाड़ा जयपुर जिला जयपुर (राज0)

----प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

:-उपस्थिति :-

श्री कमल कुमार शर्मा एड. (वादीगण),

श्री रघुनाथसिंह शेखावत एड. (प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 8),

श्री लोकेन्द्रसिंह शेखावत एड. (प्रतिवादी संख्या 4),

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर (प्रतिवादी नम्बर 6)

दावा बाबत् [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा,

(अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0 काश्त0 अधिनियम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1850, 1893, 1898 कुल किता 3 कुल रकबा 2.98 हैक्टर तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीगण की माता, दादी व सास मृतक फूली पत्नि व बदरीनारायण के नाम दर्ज हैं व शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के बुजुर्गान के नाम से दर्ज रिकार्ड हैं। वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमियों का मौके पर बंटवारा अर्सा करीबन 25-30 वर्षो पूर्व से ही किया हुआ हैं। उक्त बंटवारा अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1898 रकबा 1.50 हैक्टर सम्पूर्ण वादीगण के हक हिस्से व बंटवारे में आया हुआ हैं एंव भूमि खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1893 रकबा 1.39 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के बुजुर्गान के हक हिस्से व बंटवारे में आया हुआ हैं इसी अनुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से व बंटवारे में आयी हुयी भूमियों पर उक्तानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं इसी अनुसार पक्षकारान द्वारा मौके पर सींव कायम कर मौके पर अलग-अलग विभाजित कर सींवडोल भी [illegible] लगी हुयी हैं। उपरोक्तानुसार कानूनी बंटवारा नहीं होकर [illegible] अलग-अलग दर्ज नही होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी [illegible] था राज्य सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुख सुविधाओं से वादीगण को वंचित रहना पड़ता हैं इस कारण भी वादीगण के कब्जे काश्त व बंटवारे की भूमि का कानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:39:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बंटवारा किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक एंव न्यायोचित है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को पूर्व में वादपत्र में वर्णित भूमि का बंटवारा कराने हेतु कहां तो वे टालते रहे व आश्वासन देते रहे परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गयी हैं और वे भूमियों का विधिक बंटवारा कराने से आनाकानी करने लग गये हैं। इस कारण दावा पेश किया है। वादी ने अनुतोष चाहा है कि भूमि खसरा नम्बर 1850, 1893, 1898 कुल किता 3 कुल रकबा 2.98 हैक्टर तनू ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में भूमि खसरा नम्बर 1898 रकबा 1.50 हैक्टर सम्पूर्ण वादीगण के हक हिस्से एंव भूमि खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1893 रकबा 1.39 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के हक हिस्से व बंटवारे में खातेदारी दर्ज कर पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स उपरोक्तानुसार बंटवारा की डिक्री पारित कर बंटवारा अनुसार खातेदारी अलग-अलग दर्ज कर मुताबिक डिक्री पारित कर एक-दुसरे के हिस्से से एक-दुसरे का नाम हटाया जावे एंव प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 5, 8 की ओर से श्री रघुनाथसिंह शेखावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

एडवोकेट की ओर से वकालतनामा पेश किया एंव प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री लोकेन्द्रसिंह एडवोकेट ने आयन्दा पेशी पर वकालतनामा पेश करने बाबत दिनांक 23.05.2022 को अण्डर टेकिंग पेश की गयी। प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4, 6 व 7 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4, 6 व 7 के विरूद्ध दिनांक 19.9.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में वकील वादीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर स्वीकार होने पर प्रकरण में किशनसिंह पुत्र हणमानसिंह निवासी मऊ हाल निवासी प्लाट नम्बर 7 गायत्री नगर माचड़ा हरमाड़ा जयपुर को प्रतिवादी संख्या 8 प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री लोकेन्द्रसिंह एडवोकेट ने दिनांक 12.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र बाबत मंसूख किये जाने एकपक्षीय आदेश दिनांक 19.9.2022 बाबत पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकुलाय उभय पक्षकारान को सुना जाकर वकील प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा प्रकरण में दिनांक 23.05.2022 को आयन्दा पेशी पर वकालतनामा पेश करने की अण्डरटेकिंग दिये जाने के पश्चात् दो तारीख पेशियां गुजरने के उपरान्त भी वकालतनामा पेश नही करने पर प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही तीन महिने पश्चात् की गयी थी। इसके उपरान्त वकील प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 12.10.2023 अर्थात लगभग 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध दिनांक 19.9.2022 को की गयी एकपक्षीय कार्यवाही को मंसूख किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश कर वादपत्र में सुनवाई हेतु अपना पक्ष रखने बाबत एकपक्षीय कार्यवाही को मंसूख किये जाने का निवेदन किया हैं। जो काफी देरीना होने एंव वादपत्र के एंव वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकालतनामा पेश किये जाने की अण्डटेकिंग पेश किये जाने के उपरान्त भी वकालतनामा पेश नही किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने के भी एक वर्ष पश्चात् मंसूखी कार्यवाही का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रकरण को केवल मात्र देरीना करने के उद्धेश्य से प्रस्तुत किया जाना प्रकट होने से प्रार्थना प एकपक्षीय कार्यवाही को मंसूखी बाबत को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र पूर्व में ही खारिज किया जा चुका है।

प्रकरण में वकील वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1898 रकबा 1.50 हैक्टर हेतु चाही गयी इस्तदुआ में से 0.01 हैक्टर रकबा कम किया जाकर खसरा नम्बर 1898 रकबा 1.50 हैक्टर के स्थान पर रकबा 1.49 हैक्टर भूमि ही वादीगण के हक हिस्से में आने से रकबा 1.49 हैक्टर तक ही इस्तदुआ किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है। जिस पर वकील वादीगण को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

किया जाकर वादपत्र की इस्तदुआ में खसरा नम्बर 1898 के रकबा 1.50 हैक्टर के स्थान पर रकबा 1.49 हैक्टर तक ही इस्दतुआ दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

वकील वादीगण श्री कमल कुमार शर्मा व वकील प्रतिवादीगण नम्बर 1, 5, 8 ने खातेदारी में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण व वादी का विधिक विभाजन कर दिया जावे तो एतराज नही है इस बाबत आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर कर प्रारम्भिक डिक्री हेतु सहमति दी है। अतः प्रकरण बंटवारा से सम्बन्धित होने होने से प्रकरण में पक्षकारान के विधिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन कियां। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2023 को जारी की गयी थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.12.2023 को जारी की जाकर विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक [illegible] 51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में [illegible]त दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 349/रीडर/2024/दिनांक 24.01.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अलग-अलग रंगो में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गयी थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 367/भू.अ./2024 दिनांक 19.2.2024 के द्वारा प्राप्त हुये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण मे विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होते हुये वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण नम्बर 1, 5, 8 द्वारा अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी (श्रीमाधोपुर) सत्यमेव जयते

वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देश दिनांक 5.10. 2020 में वर्णित राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु जरिये पत्रांक 367/भू.अ./2024दिनांक 19.02.2024 के द्वारा दिनांक 13.02.2024 के द्वारा 3 पीएम आराजीयात मुतदावा आराजीयात खसरा नम्बर 1850, 1893, 1898 तन् ग्राम ... का निरीक्षण करते हुये बहमराह पटवारी व भू अभिलेख निरिक्षक के साथ मौका देखा जाकर मौतविरान की उपस्थिति में मौका निरिक्षण अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मौका निरिक्षण कर विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी

प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादीगण स्वंय असालतन् या वकालतन उपस्थित होकर चाराजोही कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे जबकि प्रतिवादीगण द्वारा किये गये मौका निरिक्षण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से वादीगण व प्रतिवादीगण को उनके हिस्से अनुसार जमीने दिया जाना प्रकट होता है।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर वकील प्रतिवादीगण संख्या 1, 5, 8 ने अनापत्ति जाहिर की उक्तानुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार करते हुये वादपत्र मे अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

:- क्रियात्मक आदेश :-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता हैं। इस प्रकार वादी[illegible] प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा [illegible] रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा [illegible]र्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी अनुसार दिनांक 19.02.2024 [illegible]र्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्री[illegible]पुर (नी[illegible] न्यायालय)

जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :-

क्र. सं.	खाता सं.	खातेदार का नाम	ख. नं.	रकबा (है0)	किस्म
1	236	उगम कंवर पत्नी भानसिंह हिस्सा 1/16 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	1850	0.0900	बारानी।
1		डूंगसिंह पुत्र हरभगतसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	1893	1.3900	बारानी।
1		फूली पत्नी बद्रीनारायण हिस्सा 1/2 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर बिशनसिंह पुत्र जैसिंह हिस्सा 1/16 जाति राजपूत सा. देह खातेदार भंवरसिंह पुत्र पेमसिंह हिस्सा 1/16 जाति राजपूत सा. देह खातेदार मान कंवर पत्नी सुखभानसिंह हिस्सा 1/8 जाति सा. देह खातेदार हणमानसिंह पुत्र जैसिंह हिस्सा [illegible] जाति राजपूत सा. देह खातेदार	1898	1.5000	बारानी।
		योग	किता 3	2.9800	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

24/04/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा नं.	रकबा (हैक्टे. में)	किश्म	लगान (रु में)
1.	रामकृपाल पुत्र रमेशचन्द्र हिस्सा 1/18 बृजमोहन पुत्र रमेशचन्द्र हिस्सा 1/18 रघुवीर पुत्र रमेशचन्द्र हिस्सा 1/18, अन्नपूर्णा पुत्री रमेशचन्द्र हिस्सा 1/18 ममता पुत्री रमेशचन्द्र हिस्सा 1/18 शांति देवी पत्नी रमेशचन्द्र हिस्सा 1/18 शिम्भूदयाल पुत्र बद्री नारायण हिस्सा 1/3 संतोष देवी पत्नी कैलाशचन्द्र हिस्सा 1/3 जाति पुरोहित	1898/2	1.49	बारानी-1	
	योग खाता	किता-1	1.4900		
	सदा कंवर पुत्री डूंगसिंह हि. 1/4 बलवीर सिंह, सुरेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह पि. भंवरसिंह हि0 1/4 जितेन्द्रसिंह पुत्र हणमानसिंह हि. 1/4 किशनसिंह पुत्र हणमानसिंह हि. 1/8 सुरेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र मानसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत साकेन	1850 1893 1898/1	0.09 1.39 0.01		
	योग खाता	किता-3	1.4900		

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावे। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 367भू.अ/24 दिनांक 19.2.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता हैं। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होरक बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

22/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

यह निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

22/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)